फर्द अहकाम

भंवर लाल बनाम सरकार वगै0

...ांक	...ाः 72/2024 आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
...2024	प्रार्थी भंवर सिंह ने प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करवाने का पेश किया बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम टीलावाला पटवार मण्डल पंवालिया के आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 0.50 हैक्टेयर की कृषि भूमि की जमाबंदी में भंवर लाल नरूका चेला स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह व पुष्पा कंवर चेला मोहनसिंह अंकित है जिसकों भंवरसिंह पुत्र जसवंत सिंह व पुष्पा कंवर पत्नि मोहन सिंह शुद्व किया जावें। प्रकरण में तहसीलदार सांगानेर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई है जिनके स्वतः स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 394 व 396 से पुष्पा कंवर चेला मोहन सिंह व भंवर सिंह चेला जसवंत सिंह की त्रुटि अंकित हो गई जबकि विक्रय पत्र में भंवर सिंह नरूका पुत्र स्व0 श्री जसवंत सिंह नरूका व पुष्पा कंवर पत्नि श्री मोहन सिंह अंकित है। बहस प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार सांगानेर की रिपोर्ट को अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत द्वारा 136 स्वीकार किया जाकर ग्राम टीलावाला पटवार मण्डल पंवालिया के आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 0.50 हैक्टेयर की कृषि भूमि की जमाबंदी में भंवर लाल नरूका चेला स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह व पुष्पा कंवर चेला मोहनसिंह के स्थान पर भंवरसिंह नरूका पुत्र स्व0 श्री जसवंत सिंह नरूका व पुष्पा कंवर पत्नि मोहन सिंह शुद्व किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2024.07.23 10:43:12 IST Reason: SelfAttested जयपुर ... (सांगानेर)	